रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082022-238418
CG-DL-E-26082022-238418

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 2022/भाद्र 4, 1944
No. 585] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 2022/BHADRA 4, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 661(अ).—केन्द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की धारा 24 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :--

"3ख. सेवानिवृत्ति पश्चात् फायदे—(1) किसी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति के साथ उसके जीवन पर्यंत उच्चतम न्यायालय के नियमित कर्मचारियों को अनुज्ञेय पूर्ण वेतन और भत्तों सहित उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के स्थापन से निम्नलिखित कर्मचारिवृंद नियोजित किए जाएंगे—

(क) घरेलू सहायक (कनिष्ठ न्यायालय परिचर के स्तर के समतुल्य) ;

(ख) चालक (उच्चतम न्यायालय में चालक के स्तर के समतुल्य) ;

(ग) सचिवालयिक सहायक (उच्चतम न्यायालय में शाखा अधिकारी के स्तर के समतुल्य)।

(2) कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, सेवानिवृत्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए चौबीसों घंटे वैयक्तिक सुरक्षा गार्ड के अतिरिक्त निवास स्थान पर चौबीसों घंटे सुरक्षा कवच का हकदार होगा ।

(3) कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए चौबीसों घंटे वैयक्तिक सुरक्षा गार्ड के अतिरिक्त निवास स्थान पर चौबीसों घंटे सुरक्षा कवच का हकदार होगा ।

(4) उपनियम (2) और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या किसी सेवानिवृत्ति न्यायाधीश को धमकी की अवधारणा के आधार पर पहले से ही उच्चतर श्रेणी सुरक्षा प्रदान की गई है, तो पहले से ही प्रदान की गई उच्चतर श्रेणी सुरक्षा जारी रहेगी ।

(5) कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायामूर्ति, सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास की अवधि के लिए दिल्ली में टाइप-VII (पदाभिहित शासकीय वास-सुविधा से भिन्न) किराया मुक्त वास-सुविधा का हकदार होगा ।

(6) किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश के साथ उसके जीवन पर्यंत उच्चतम न्यायालय के नियमित कर्मचारियों को अनुज्ञेय पूर्ण वेतन और भत्तों सहित उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के स्थापन से निम्नलिखित कर्मचारिवृंद नियोजित किए जाएंगे—

(क) घरेलू सहायक (कनिष्ठ न्यायालय परिचर के स्तर के समतुल्य) ; और

(ख) चालक (उच्चतम न्यायालय में चालक के स्तर के समतुल्य) ।

(7) कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायामूर्ति या कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, विमानपत्तनों के समारोह विश्राम कक्षों में विस्तारित शिष्टाचार के प्रोटोकाल का हकदार होगा ।

(8) कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायामूर्ति या कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश नि:शुल्क आवासीय टेलीफोन और आवासीय टेलीफोन या मोबाइल फोन या ब्रॉडबैंड या मोबाइल डाटा या डाटा कार्ड के काल प्रभारों की प्रतिपूर्ति, जो यथा लागू करों सहित 4200/-रु. प्रतिमाह से अधिक की नहीं होगी, का हकदार होगा :

परंतु टेलीफोन काल प्रभारों की प्रतिपूर्ति, भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर भारत के उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा की जाएगी ।

(9) इस नियम के अधीन सेवानिवृत्ति पश्चात् फायदे, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के संबंध में अनुज्ञेय होंगे, यदि ऐसी प्रसुविधाओं का, किसी ऐसे उच्च न्यायालय से या अन्य किसी ऐसे सरकारी निकाय से, जहां सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् कोई कार्यभार ग्रहण किया है, उपयोग नहीं किया है ।"।

3. उक्त नियमों के नियम 4 के परंतुक का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के नियम 5क का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. एल-11017/1/2020-न्या.-I]

नीरज कुमार गयागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 935, तारीख 4 अगस्त, 1959 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया :--

1. सा.का.नि. 1366, तारीख 18 दिसंबर, 1974 ;
2. सा.का.नि. 634, तारीख 22 अप्रैल, 1976 ;
3. सा.का.नि. 854, तारीख 1 अगस्त, 1980 ;
4. सा.का.नि. 1176(अ), तारीख 4 नवंबर, 1986 ;
5. सा.का.नि. 680(अ), तारीख 12 नवंबर,1991 ;
6. सा.का.नि. 381 (अ), तारीख 20 अप्रैल, 1993 ;

7. सा.का.नि. 444(अ), तारीख 10 मई, 1995 ;

8. सा.का.नि. 717(अ), तारीख 3 नवंबर, 1995 ;

9. सा.का.नि. 718(अ), तारीख 3 नवंबर, 1995 ;

10. सा.का.नि. 149(अ), तारीख 24 फरवरी, 1999 ;

11. सा.का.नि. 393(अ), तारीख 25 मई, 2001 ;

12. सा.का.नि. 757(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2001 ;

13. सा.का.नि. 110(अ), तारीख 5 फरवरी, 2003 ;

14. सा.का.नि. 202(अ), तारीख 15 मार्च, 2004 ;

15. सा.का.नि. 162(अ), तारीख 11 मार्च, 2006 ;

16. सा.का.नि. 602(अ), तारीख 29 सितंबर, 2006 ;

17. सा.का.नि. 200(अ), तारीख 18 मार्च, 2021 ;

18. सा.का.नि. 531(अ), तारीख 4 अगस्त, 2021 ; और

19. सा.का.नि. 649(अ), तारीख 23 अगस्त, 2022 ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2022

G.S.R. 661(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (c) and (f) of sub-section (2) of section 24 of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges Rules, 1959, namely:-

1. (1) These rules may be called the Supreme Court Judges (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Supreme Court Judges Rules, 1959 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3B, the following rule shall be substituted, namely:-

"3B. Post retiral benefits.—(1) The following staff shall be deployed with a retired Chief Justice during his lifetime from the establishment of the Supreme Court or a High Court with full pay and allowances admissible to regular employees of the Supreme Court-

(a) domestic help (equivalent to the level of Junior Court Attendant);

(b) chauffeur (equivalent to the level of Chauffer in the Supreme Court); and

(c) secretarial assistant (equivalent to the level of the Branch Officer in the Supreme Court).

(2) A retired Chief Justice shall be entitled to a security cover round the clock at residence in addition to round the clock personal security guard for a period of five years from the date of retirement.

(3) A retired Judge shall be entitled to a security cover round the clock at residence in addition to round the clock personal security guard for a period of three years from the date of retirement.

(4) Notwithstanding anything in sub-rules (2) and (3), if a retired Chief Justice or a retired Judge is already provided with a higher grade security on the basis of threat perception, the higher grade security already provided shall continue.

(5) A retired Chief Justice shall be entitled to a rent free Type-VII accommodation at Delhi (other than the designated official residence) for a period of six months from the date of retirement.

(6) The following staff shall be deployed with a retired Judge during his lifetime from the establishment of the Supreme Court or a High Court with full pay and allowances admissible to regular employees of the Supreme Court-

(a) domestic help (equivalent to the level of Junior Court Attendant); and

(b) chauffeur (equivalent to the level of Chauffer in the Supreme Court).

(7) A retired Chief Justice or a retired Judge shall be entitled to protocol to extend courtesies at ceremonial lounges at airports.

(8) A retired Chief Justice or a retired Judge shall be entitled to a residential telephone free of cost and reimbursement of telephone call charges of residential telephone or mobile phone or broadband or mobile data or data card not exceeding to Rs.4200/- per month plus taxes as applicable:

Provided that the reimbursement of telephone call charges shall be made by the Registrar of the Supreme Court of India on furnishing a certificate by the retired Chief Justice or the retired Judge in the form specified by the Registry of the Supreme Court of India.

(9) The post retiral benefits under this rule shall be admissible to the retired Chief Justice or the retired Judge if no such facilities are availed from any High Court or from any other government body where the retired Chief Justice or a retired Judge has taken up any assignment after retirement.".

3. In rule 4 of the said rules, the proviso shall be omitted.

4. Rule 5A of the said rules shall be omitted.

[F. No. L-11017/1/2020-Jus.I]

NIRAJ KUMAR GAYAGI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 935, dated the 4th August, 1959 and subsequently amended by:-

1. G.S.R. 1366, dated the 18th December, 1974;
2. G.S.R. 634 dated the 22nd April, 1976;
3. G.S.R. 854 dated the 1st August, 1980;
4. G.S.R. 1176 (E) dated the 4th November, 1986;
5. G.S.R. 680 (E) dated the 12th November, 1991;
6. G.S.R. 381 (E) dated the 20th April, 1993;
7. G.S.R. 444 (E) dated the 10th May, 1995;
8. G.S.R. 717 (E) dated the 3rd November, 1995;
9. G.S.R. 718 (E) dated the 3rd November, 1995;
10. G.S.R. 149 (E) dated the 24th February, 1999;
11. G.S.R. 393 (E) dated the 25th May, 2001;
12. G.S.R. 757 (E) dated the 4th October, 2001;
13. G.S.R. 110 (E) dated the 5th February, 2003;
14. G.S.R. 202 (E) dated the 15thMarch, 2004;
15. G.S.R. 162 (E) dated the 11th March, 2006;
16. G.S.R. 602 (E) dated the 29th September, 2006;
17. G.S.R. 200(E) dated the 18th March, 2021;
18. G.S.R. 531(E) dated the 4th August, 2021; and
19. G.S.R. 649 (E) dated the 23rd August, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.08.26 21:58:59 +05'30'